पु०स० 128/2020   हनुमान vs धुनीराम

काश्तकार को उसकी भूमि में आने जाने से रोका जाना न्यायोचित नही है इसके लिये गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के रास्ता में बाधा उत्पन्न नही करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.10.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायल संख्या 18 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है एवं वाद भूमि का खाता विभाजन होने तक गैरसायल संख्या 18 ता 22 को पाबन्द किया जाता है कि वह सायल को मुश्तरका खाता की भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि में जाने वाले रास्ता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे एवं सायल को निर्देशित किया जाता है गैरसायल संख्या 3 ता 17 के सही पते के रजिस्टर सम्मन तुरन्त पेश करना सुनिश्चित करे पत्रावली दिनांक 09.04.2024 को पेश हो ।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

9/4/24
पत्रावली पेश हुई श्रीमानजी पी ओ. साहब ..
अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली दि० 19/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

19/6/24
पत्रावली पेश हुई श्रीमानजी पी.ओ. साहब -
अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली दि० 6/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

6/8/24
वकील सायल उपस्थित गैरसायल 3 ता 17 की तामील हेतु रजिस्टर सम्मन पेश करे पत्रावली दिनांक 19/9/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

19/9/24
पत्रावली पेश हुई श्रीमानजी पी.ओ. साहब ..
अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली दि० 24/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

24/10/24
रजिस्टर सम्मन बाद में पेश
वकील सायल उपस्थित गैरसायल स. 3 ता 17 की तामील हेतु रजिस्टर सम्मन पेश करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक [illegible]/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

6/4/26
पत्रावली माननीय राजस्व अपील अधि[illegible] हनुमानगढ़ से प्राप्त [illegible] वकील सायल ने अवग[illegible] प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित [illegible] निस्तारण हो चुका है मूल वाद का निस्तारण होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verifi[ed]
Digitally signed by Rahu[l]
Date: 2026.04.16 17:04:
Reason: SelfAttested